न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/2703/2005/भरतपुर

1 श्यामलाल
2 लडडू
3 तेरसिंह
4 प्रेमसिंह
5 पप्पू
6 कप्तान पिसरान चरनसिंह
7 मु. लच्छो बेवा कुलआ
9 लोकेश पुत्र कलुआ नाबालिग जरिये वली माता मु. लच्छी
9 कु. बबली पुत्री कलुआ नाबालिग जरिये वसवली माता मु. लच्छी
सभी जाति गडरिया निवासीयान एकटा तहसील व जिला भरतपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

1 नत्था
2 तेजा
3 साहबसिंह
4 किशनसिंह पिसरान हरेती
5 मु. कलावती बेवा हरेती समस्त जाति काछी निवासी खरेरा
6 नाथूराम पुत्र घासी जाति मीणा
7 बद्री पुत्र पातरिया जाति काछी
8 अमरसिंह पुत्र सुम्मेरा समस्त जाति वरगी (फौत) जरिये वारिसान
8/1 रामवती पत्नी अमरसिंह
8/2 तारासिंह पुत्र अमरसिंह
8/3 नरेश पुत्र अमरसिंह नाबालिग बविलायत माता रावमती
8/4 मु0 निव्वा देवी पुत्री अमरसिंह
8/5 लाली देवी पुत्री अमरसिंह
8/6 अनीता पुत्री अमरसिंह निवासी एकटा
9 मु. भौती बेवा हरीसिंह
10 सुनीता पुत्री हरीसिंह नाबालिग वली जरिये माता मु. भौती
11 माला पुत्री हरीसिंह नाबालिग वली जरिये माता मु. भौती
12 हरसुख पुत्र हरीसिंह नाबालिग वली जरिये माता मु. भौती
13 तेरसिंह पुत्र सुम्मेरा समस्त जाति वरगी निवासी एक्टा
14 रामप्यारी पत्नी रामसिंह
15 मेघसिंह
16 मानसिंह
17 रेखसिंह पिसरान रामसिंह

18 यादराम पुत्र रामसिंह नाबलिग जरिये वली माता मु. रामप्यारी
19 लखनसिंह पुत्र रामसिंह नाबालिग जरिये वली माता मु. रामप्यारी समस्त जाति वरगी निवासी एक्टा हाल निवासी गूढा का पुर तहसील टोडाभीम जिला करोली

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोड़ूदान देथा, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः श्री मुकेश जैन वकील अपीलार्थीगण
श्री राकेश अरोडा वकील प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5

निर्णय

दिनांकः 27.5.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 234/2002 में पारित निर्णय दिनांक 20.5.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 ने एक वाद अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 से 19 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खरेरा स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 8 रकबा 1 बीघा 16 बिस्व कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। नये बन्दोबस्त में उक्त साबिक खसरा नम्बरों के नवीन खसरा नम्बर 25, 26, 32 व 18/611 बनाये एवं वादीगण के नाम पर्चा लगान जारी कर दिया व वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि साबिक के मुकाबले हाल बन्दोबस्त में उनका रकबा कम कर दिया गया जिसे पूरा किया जावे। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने बिना वादीगण को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये आराजी दिनांक 16.12.94 से वादीगण के खसरा नम्बर 25 व 26 का सम्पूर्ण रकबा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। जिसकी वादीगण को जानकारी नहीं थी। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का आदेश क्षेत्राधिकार बाहर हैं। वादीगण के खातेदारी की भूमि को इस

प्रकार प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश देने का क्षेत्राधिकार सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को नहीं है। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 19.7.2002 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20.5.2005 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थीगण साबिक खसरा नम्बर 6 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार काश्तकार हैं। भू प्रबन्ध के दौरान इसके नवीन खसरा नम्बर 19, 20, 23, 24 कुल रकबा 1.18 हेक्टर बनाये गये हैं जबकि साबिक के मुकाबले कुल रकबा 173 एयर होना चाहिये जो नहीं किया गया एवं अपीलार्थीगण का रकबा कम कर दिया गया। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने नोटिस जारी किये हैं एवं विधिवत कार्यवाही कर वादी प्रत्यर्थीगण के खातेदारी में अपीलार्थीगण का रकबा दर्ज किया जाना मानते हुए विधि अनुसार आदेश पारित किया है। जिस रकबे पर अपीलार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। अपीलार्थीगण साबिक के मुकाबले हाल बन्दोबस्त में कम दर्ज किये गये रकबे को प्राप्त करने का अधिकारी हैं। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने मौके की जांच कर कब्जे के अनुसार ही हाल खसरा नम्बर 25 व 26 पर अपीलार्थीगण का कब्जा होने से अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है जो विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों एवं साक्ष्यों को देखे बिना ही निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सभी साक्ष्यों का विवेचन करते हुए समवर्ती निर्णय पारित किया है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। वादीगण प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के खातेदारी में साबिक खसरा नम्बर 7 व 8 की कुल 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि दर्ज थी। नवीन बन्दोबस्त में मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त साबिक खसरा नम्बर 7 व 8 के हाल खसरा नम्बर 25, 26, 32 व 18/611 बनाये गये हैं। वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के 6 बीघा 3 बिस्वा 99 एयर के बराबर होता है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने बिना वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 को नोटिस दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 का 53 एयर रकबे को कम कर दिया जो क्षेत्राधिकार बाहर होकर विधि विरूद्ध है। प्रतिवादी अपीलार्थीगण का

रकबा वादी प्रत्यर्थीगण के रकबे में शामिल नहीं किया गया है। जिससे वादीगण का 53 एयर रकबा कम नहीं किया जा सकता। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. जमाबन्दी सम्वत 2031 प्रदर्श 3 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 7 व 8 नत्था वगैरा वादीगण के खातेदारी में दर्ज हैं। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4 क अवलोकन से यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 7मि. व 8मि. से नवीन खसरा नम्बर 25, 26,18/611 व 32 बनाये गये हैं। पर्चा लगान प्रदर्श 7 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 25, 26, 32 व 18/611 वादीगण के नाम जारी किया गया है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 16.12.94 से हाल खसरा नम्बर 25 व 26 को वादीगण के नाम से हटाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 95 तस्दीक किया गया है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने उक्त आदेश दिनांक 16.12.94 पारित करने से पूर्व वादीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किये हैं तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये ही खसरा नम्बर 25 व 26 का कुल रकबा 53 एयर वादीगण के खातेदारी से कम कर प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया है जो विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार बाहर है। वादीगण का साबिक रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा है जिसके अनुसार हाल रकबा 99 एयर बनता है। वादीगण के खातेदारी का 53 एयर रकबा इस प्रकार कम नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सभी तथ्यों का विवेचन करते हुए समवर्ती निर्णय पारित किया है जो विधि अनुरूप होने से हम इस द्वितीय अपील में कोई सार नहीं पाते हैं एवं खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय दिनांक 20.5.2005 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य